वायुदूत सेवा

251. **श्री नरेश सी० पुगलिया :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों के नाम क्या हैं जिनको वायुदूत सेवा से नहीं जोड़ा गया जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्ताव किया गया था ;

(ख) महाराष्ट्र के उन शहरों के नाम क्या हैं जिनको अभी तक भी वायुदूत सेवा से नहीं जोड़ा गया है और उन्हें वायुदूत सेवा से कब तक जोड़े जाने की संभावना है ; और

(ग) वर्ष 1987 के दौरान किन-किन शहरों को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) (क) वायुदूत की स्थापना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के दुर्गम्य क्षेत्रों को जोड़ने के लिए जनवरी, 1981 में की गई थी, जिसके लिए 14 स्टेशनों का चयन किया गया था । नवम्बर, 1981 में, वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में विमान सेवा के लिए चुने गये स्टेशनों की सूची में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से बाहर अन्य 23 स्टेशनों को जोड़ा गया था । 37 स्टेशनों की इस सूची में से निम्नलिखित स्टेशनों को अभी तक विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है :—

(1) रूपसी
(2) गंगटोक
(3) अलौंग
(4) डपोरिजो
(5) इटानगर
(6) सदिया
(7) गया
(8) मुजफ्फरपुर
(9) पूर्णिया
(10) रायचूर
(11) हुबली
(12) कालीकट
(13) बिलासपुर
(14) जगदलपुर
(15) गाजीपुर
(16) थांजावूर

(ख) नांदेड़ को जो छठी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में वायुदूत से जोड़ने के लिए चुना गया एक मात्र स्टेशन था पहले ही विमान सेवा से जोड़ा दिया गया है ।

(ग) आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकास, विमानक्षमता की उपलब्धता और परिचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर, वायुदूत की संलग्न विवरण के अनुसार चालू योजना अवधि के दौरान 51 स्टेशनों को जोड़ने की योजना है ।

विवरण

उन स्टेशनों की सूची जिन्हें चालू योजना अवधि के दौरान वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है :

1. आबू रोड
2. अहमदाबाद
3. अजमेर
4. अकोला
5. अलोंग
6. अलवर
7. भटिण्डा
8. भिलाई
9. भोपाल
10. बिलासपुर
11. कालीकट
12. चन्द्रपुर
13. चेटीनाद
14. डपोरिजो
15. धनबाद
16. दिव
17. द्वारका

18. फैजाबाद
19. गंगा नगर
20. गंगटोक
21. गया
22. गाजीपुर
23. गोपालपुर
24. इटानगर
25. हुबली
26. जगदलपुर
27. जलगांव
28. जम्मू
29. जयपोर
30. झारसुगुड़ा
31. जालन्धर
32. किस्तवार
33. कोल्हापुर
34. मद्रास
35. मंगलौर
36. मीसा
37. नाजिरा
38. पठानकोट
39. पटियाला
40. पाण्डीचेरी
41. पूंछ
42. पूर्णिया
43. रायचूर
44. राजौरी
45. रूपसी
46. सदिया
47. शिमला
48. शोलापुर
49. थांजावूर
50. तिरु नेलवेली
51. तूतीकोरिन

सर गंगाराम अस्पताल को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

252. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली के कर्मचारियों के संघ, सामाजिक संस्थाओं अथवा संसद सदस्यों आदि ने यह मांग की है कि वहां पर व्यापत हेरा-फेरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसे केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन के अधीन लाया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) सर गंगाराम अस्पताल के कर्मचारी संघ ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है जसमें 27 मांगें हैं, जिनमें सरकार द्वारा इस अस्पताल को अपने हाथ में लेने, संविदा पर मजदूर न रखने, सुरक्षा गार्डों को अस्पताल का कर्मचारी मानने, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का संरक्षण हटाने शव गृह को अन्यत्र स्थानान्तरित करने, और अधिक स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने, पारी ड्यूटी को विनियमित करने आदि मांगें शामिल हैं।

(ग) सरकार की नीति दिल्ली की आबादी को सुविधाएं प्रदान कर रहे निजी अस्पतालों को अपने हाथ में लेने की नहीं है ।